न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 21/2016(जी.सी.एम.एस. 2019/0013688) पीठासीन अधिकारीः— डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. मानपाल
2. अजयपाल
3. मनफूल
4. विजय सिंह

पुत्रगण नारायन सिंह जाति जाट नि0 ग्राम बरौलीचौथ तहसील डीग

—सायलान

बनाम

1. महेश कुमार
2. अशोक कुमार
3. राजेश कुमार
4. राजकुमार
5. गिर्राज सिंह

पुत्रगण केशरिया जाति जाट नि0 ग्राम बरौलीचौथ तहसील डीग

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 09.07.2024

सायलान द्वारा प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 911/0.24, वाके ग्राम सामई तहसील डीग में स्थित है। आराजी मुत0 सायलान के कब्जे काश्त में उनके पूर्वजों के जमाने से वाहैसियत खातेदार काश्तकार चली आ रही है जिस पर सायलान से उनके पिता स्व0 नारायनसिंह काबिज रहकर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काश्त करते थे और उनके स्वर्गवाश के वाद सायलान वाहैसियत वारिस वाहिस्सा बरावर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सायलान के पिता नारायनसिंह के नाम बन्दोवस्त से पूर्व गत खसरा नम्बरान 2071/1—10, 2072/1—0, 2073/0—18, 2074/0—17, 2075/0—16, 2076/0—18, 2077/0—18, 2078/1—9, 2079/0—14, 2080/0—11, 2081/1—1, 2083/0—9, वाके ग्राम सांवई तहसील डीग दर्ज राजस्व रिकार्ड थे जिनका कुल रकबा 11बीघा 1 विस्वा था जिस पर सायलान के पिता नारायनसिंह वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज काश्त थे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

गत रकबा 11वीघा 1 विस्वा की नवीन पैमाईश में गत 1.77 हैक्टेयर आराजी होती है। हाल बन्दोवस्त में उक्त गत खसरा नम्बरान से बन्दोवस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बरान 913/0.15, 914/0.10, 924/0.15, 915/0.10, 921/0.12, 922/0.10, 923/0.27, 923/3096/0.14, 910/0.13, 911/0.24, 926/0.08, 925/0.09, 928/0.11, कुल रकबा 1.78 हैक्टेयर वाके ग्राम सामई तहसील डीग बनाये गये है जिनमें से विवादित खसरा नम्बर 911/0.24 को छोडकर शेष नम्बरान सायलान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज आये है। लेकिन विवादित खसरा नम्बर 911/0.24 को बन्दोवस्त विभाग द्वारा गलत तरीके पर गलत मिलान क्षेत्रफल बनाते हुए उसे गैर सायलान के गत खसरा नम्बरान 2066, 2067, 2068, 2069 वाके ग्राम सामई तहसील डीग से बना दिखाकर विवादित ख0नम्बर 911/0.24 को गैर सायलान के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि नक्सा अक्स हाल व गत नक्सा के मिलान विवादित खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई तहसील डीग कौ सायलान के गत खसरा नम्बरान 2066, 2067, 2068, 2069 से नहीं बनाया गया है। अतः निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 911/0.24, वाके ग्राम सामई तहसील डीग के कब्जे काश्त सायलान में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करने व रहन बय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायलान की ओर से अधिवक्ता उपस्थित ने अपना जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि विवादित आराजी गैर सायलान 01लगायत 05 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो गैर सायलान संख्या 01 लगायत 05 को विरासतन अपने पिता स्व0 केशरिया से उनकी मृत्यु उपरांत प्राप्त हुई है और गैर सायलान संख्या 01 लगायत 05 से पूर्व उनके पिता केशरिया व उससे पूर्व गैर सायलान के बाबा मुरली के कब्जे काश्त में रही है। विवादित आराजीयात से सायलान व उनके पिता व पूर्वजों का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। विवादित आराज खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई सही तरीके पर मौके अनुसार मुताविक कब्जा गैर सायलान के साविक आराजी खसरा नम्बर 2066, 2067, 2068, 2069 आदि से सही प्रकार से बनाया गया है और इसी प्रकार हाल खसरा नम्बर 910/0.13 को भी मुताविक साविक रिकार्ड बनाया गया है। आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई से सायलान व उनके पिता का कोई सरोकार कभी नहीं रहा है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 गैर सायलान का ही मुताविक साविक खातेदारी की आराजीयात से बना नम्बर है। चूँकि गैर सायलान के पूर्वज(बाबा)मुरली के नाम की कब्जे काश्त खातेदारी के साविक आराजी खसरा नम्बरान 3478/2009/1–07, 2006/1–19, 2007/1–17, 2008/1–14, 2005/2–8, 2010/1–16, 2011/0–9, 2012/0–12, 2013–1–0, 2014/0–14, 2065/0–10, 2066/0–15, 2067/0–6, 2068/0–8, 2069/0–11, 2070/1–2, 3479/2009/0–3, यानि कुल किता–17 कुल रकबा 17 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम सामई तहसील

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

डीग रहे है। जिनका कुल रकबा नई माफ में रकबा 2.81 हैक्टे0 होता है और दौराने सैटिलमेंट भी गैर सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजीयात से हाल खसरा नम्बरान 905/0.2, 906/0.8, 906/3142/0.07, 907/3140/0.07, 908/3141/0.11, 911/0.24, 912/0.11, 947/0.17, 951/0.40, 952/0.10, 935/0.8, 954/0.28, 955/0.02, 956/0.21, 957/0.16, 958/0.42, 959/0.30 कुल किता—17 कुल रकबा 2.84 हैक्टे0 वाके ग्राम सामई तहसील डीग बनाये गये है जो रकबा साविक साविक के मुताविक ही हाल में इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई तहसील डीग को सायलान की आराजी होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस के दौरान **वकील सायलान** ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, स्वीकार फरमाया जाकर विवादित खसरा नम्बर 911/0.24 को बन्दोवस्त विभाग द्वारा गलत तरीके पर गलत मिलान क्षेत्रफल बनाते हुए उसे गैर सायलान के गत खसरा नम्बरान 2066, 2067, 2068, 2069 वाके ग्राम सामई तहसील डीग से बना दिखाकर विवादित ख0नम्बर 911/0.24 को गैर सायलान के नाम दर्ज कर दिया है। जबकि नक्सा अक्स हाल व गत नक्सा के मिलान विवादित खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई तहसील डीग को सायलान के गत खसरा नम्बरान 2066, 2067, 2068, 2069 से नहीं बनाया गया है। अतः निवेदन है कि कब्जे काश्त सायलान में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नहीं करने व रहन वय मुन्तकिल नहीं किये जाने हेतु गैर सायलान को पावंद फरमाया जावे।

गैर सायलान के विद्वान वकील द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र के जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 गैर सायलान का ही मुताविक साविक खातेदारी की आराजीयात से बना नम्बर है। चूँकि गैर सायलान के पूर्वज(बाबा)मुरली के नाम की कब्जे काश्त खातेदारी के साविक आराजी खसरा नम्बरान 3478/2009/1—07, 2006/1—19, 2007/1—17, 2008/1—14, 2005/2—8, 2010/1—16, 2011/0—9, 2012/0—12, 2013—1—0, 2014/0—14, 2065/0—10, 2066/0—15, 2067/0—6, 2068/0—8, 2069/0—11, 2070/1—2, 3479/2009/0—3, यानि कुल किता—17 कुल रकबा 17 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम सामई तहसील डीग रहे है। जिनका कुल रकबा नई माफ में रकबा 2.81 हैक्टे0 होता है और दौराने सैटिलमेंट भी गैर सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजीयात से हाल खसरा नम्बरान 905/0.2, 906/0.8, 906/3142/0.07, 907/3140/0.07, 908/3141/0.11, 911/0.24, 912/0.11, 947/0.17, 951/0.40, 952/0.10, 935/0.8, 954/0.28, 955/0.02, 956/0.21, 957/0.16, 958/0.42, 959/0.30 कुल किता—17 कुल रकबा 2.84 हैक्टे0 वाके ग्राम सामई तहसील डीग बनाये गये है जो रकबा साविक के मुताविक ही हाल में है, इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 911/0.24

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वाके ग्राम सामई तहसील डीग को सायलान की आराजी होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः— विवादित आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 गैर सायलान का ही मुताविक साविक खातेदारी की आराजीयात से बना नम्बर है। चूँकि गैर सायलान के पूर्वज(बाबा)मुरली के नाम की कब्जे काश्त खातेदारी के साविक आराजी खसरा नम्बरान 3478/2009/1—07, 2006/1—19, 2007/1—17, 2008/1—14, 2005/2—8, 2010/1—16, 2011/0—9, 2012/0—12, 2013—1—0, 2014/0—14, 2065/0—10, 2066/0—15, 2067/0—6, 2068/0—8, 2069/0—11, 2070/1—2, 3479/2009/0—3, यानि कुल किता—17 कुल रकबा 17 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम सामई तहसील डीग रहे है। जिनका कुल रकबा नई माफ में रकबा 2.81 हैक्टे0 होता है और दौराने सैटिलमेंट भी गैर सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजीयात से हाल खसरा नम्बरान 905/0.2, 906/0.8, 906/3142/0.07, 907/3140/0.07, 908/3141/0.11, 911/0.24, 912/0.11, 947/0.17, 951/0.40, 952/0.10, 935/0.8, 954/0.28, 955/0.02, 956/0.21, 957/0.16, 958/0.42, 959/0.30 कुल किता—17 कुल रकबा 2.84 हैक्टे0 वाके ग्राम सामई तहसील डीग बनाये गये है जो रकबा साविक के मुताविक ही हाल में है, इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई तहसील डीग को सायलान की आराजी नहीं होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

सुविधा का संतुलनः— विवादित आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 गैर सायलान का ही मुताविक साविक खातेदारी की आराजीयात से बना नम्बर है। चूँकि गैर सायलान के पूर्वज(बाबा)मुरली के नाम की कब्जे काश्त खातेदारी के साविक आराजी खसरा नम्बरान 3478/2009/1—07, 2006/1—19, 2007/1—17, 2008/1—14, 2005/2—8, 2010/1—16, 2011/0—9, 2012/0—12, 2013—1—0, 2014/0—14, 2065/0—10, 2066/0—15, 2067/0—6, 2068/0—8, 2069/0—11, 2070/1—2, 3479/2009/0—3, यानि कुल किता—17 कुल रकबा 17 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम सामई तहसील डीग रहे है। जिनका कुल रकबा नई माफ में रकबा 2.81 हैक्टे0 होता है और दौराने सैटिलमेंट भी गैर सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजीयात से हाल खसरा नम्बरान 905/0.2, 906/0.8, 906/3142/0.07, 907/3140/0.07, 908/3141/0.11, 911/0.24, 912/0.11, 947/0.17, 951/0.40, 952/0.10, 935/0.8, 954/0.28, 955/0.02, 956/0.21, 957/0.16, 958/0.42, 959/0.30 कुल किता—17 कुल रकबा 2.84 हैक्टे0 वाके ग्राम सामई तहसील डीग बनाये गये है जो रकबा साविक के मुताविक ही हाल में है, इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 911/0.24

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वाके ग्राम सामई तहसील डीग को सायलान की आराजी नहीं होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में न होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रकट होना प्रतीत है।

अपूर्तिनीय क्षतिः– विवादित आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 गैर सायलान का ही मुताविक साविक खातेदारी की आराजीयात से बना नम्बर है। चूँकि गैर सायलान के पूर्वज(बाबा)मुरली के नाम की कब्जे काश्त खातेदारी के साविक आराजी खसरा नम्बरान 3478/2009/1–07, 2006/1–19, 2007/1–17, 2008/1–14, 2005/2–8, 2010/1–16, 2011/0–9, 2012/0–12, 2013–1–0, 2014/0–14, 2065/0–10, 2066/0–15, 2067/0–6, 2068/0–8, 2069/0–11, 2070/1–2, 3479/2009/0–3, यानि कुल किता–17 कुल रकबा 17 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम सामई तहसील डीग रहे है। जिनका कुल रकबा नई माफ में रकबा 2.81 हैक्टे0 होता है और दौराने सैटिलमेंट भी गैर सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजीयात से हाल खसरा नम्बरान 905/0.2, 906/0.8, 906/3142/0.07, 907/3140/0.07, 908/3141/0.11, 911/0.24, 912/0.11, 947/0.17, 951/0.40, 952/0.10, 935/0.8, 954/0.28, 955/0.02, 956/0.21, 957/0.16, 958/0.42, 959/0.30 कुल किता–17 कुल रकबा 2.84 हैक्टे0 वाके ग्राम सामई तहसील डीग बनाये गये है जो रकबा साविक के मुताविक ही हाल में है, इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई तहसील डीग को सायलान की आराजी नहीं होना प्रतीत है। साथ ही विवादित खसरा नम्बर 911/0.24 वाके ग्राम सामई तहसील डीग पर अरसा पूर्व गैर सायलान संख्या 01 लगायत 05 व इनसे पूर्व इनके पिता केशरिया का नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है, इस तथ्य की जानकारी सायलान व इनके पिता नारायन सिंह को अपने जीवनकाल में रही होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में प्राइमा फेसी केस व बैलेंस ऑफ कन्वीनियन्स एवं अपूर्तिनीय क्षति गैर सायलान के पक्ष में बखूवी प्रतीत होती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील सायलान के द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन व उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। समस्त विवेचना अनुसार हम सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट, को अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, उपलब्ध रिकार्ड व साक्ष्य से सावित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner